

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3009/2023

Shrawan Singh S/o Adisal Singh,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 424/2024

Ratan Singh S/o Shrawan Singh,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lokesh Kumar Verma with Ms. Brahmi Jain
For Respondent(s)	:	Mr. A.K.Gupta, PP Mr. Gaurav Gupta (in case 3009/23)

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

18/03/2026

ये दोनों याचिकाएं याचीगण के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द एवं निरस्त करने की प्रार्थना के साथ पेश की गई हैं, जिनमें न्यायालय ने दिनांक 16.11.2023 को इस आशय का आदेश पारित किया था कि अन्वेषण जारी रहेगा परंतु याचीगण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

याचीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रकट किया कि अभियुक्तगण अन्वेषण में सहयोग कर रहे हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर निवेदन करने को समय चाहते हैं। विद्वान लोक अभियोजक भी नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को समय चाहते हैं।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हों। तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(SHUBHA MEHTA),J